महत्वपूर्ण एवं खास

गाज गिरने से 6 मवेशियों की मौत

गरियाबंद-रायपुर (आरएनएस)। मानसून के बीच जिले में आंधी तूफान के साथ-साथ आकाशीय बिजली का कहर जारी है। ताजा मामला ग्राम पोटिया से सामने आया है। जहां एक घटना में 6 मवेशियों की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि ये सभी मवेशी बिजली तार की चपेट में आ गए। इस घटना के बाद किसानों ने बिजली विभाग पर आक्रोश जाहिर की है। लापरवाही का आरोप लगाया है। बता दें कि कुछ दिन पहले राजनांदगांव जिले में एक किशोर की मौत हो गई थी।

चाकू लेकर आतंक फैलाते युवक गिरफ्तार

रायपुर (आरएनएस)। कलिंग नगर में चाकू लेकर आतंक फैलाते गुढियारी पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ आम्र्स एक्ट के तहत कार्रवाई की है। मिली जानकारी के अनुसार गुढियारी पुलिस को सूचना मिली कि कलिंग नगर में एक युवक चाकू लेकर आम लोगों को डरा धमका रहा है। सूचना पर मौके में पहुंची पुलिस ने आरोपी अभिषेक रावत 19 वर्ष को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इसके पास से चाकू जब्त किया है।

जादू-टोने के शक में महिला की हत्या, मां-बेटे सहित तीन गिरफ्तार

गौरेला (आरएनएस)। गौरेला क्षेत्र के भस्कुरा गांव में हुई महिला की गला काटकर हत्या के मामले में पुलिस ने 48 घंटे के अंदर ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। मामले में पुलिस ने गांव के कोटवार और आरोपी मां-बेटे को गिरफ्तार किया है। मिली जानकारी के अनुसार पूरा गौरेला थाना के भस्कुरा गांव के चिकनीटोला में 19 जून को महिला मुन्नी बाई की लाश सडक़ किनारे मिली थी। पुलिस ने बताया कि गांव के रहने वाले युवक कृष्णा मरावी और उसकी मां कवरिया बाई को शक था कि मुन्नी बाई जादू टोना करती है। मां-बेटे को पता था कि गांव के कोटवार विरासुलाल पडऩवार के महिला के अच्छे संबंध थे। प्लानिंग के अनुसार कोटवार ने मुन्नीबाई को पट्टा सुधारने के नाम पर फ ोन करके बुलाया। मुन्नीबाई जब कोटवार के पास जाने के लिए निकली तो आरोपी महिला ने इसकी जानकारी अपने बेटे को दी। जिसके बाद कृष्णा मरावी ने मुन्नी बाई पर फरसा से वार कर हत्या कर दी। भावना गुप्ता ने बताया कि पुलिस ने साइबर सेल की मदद ली। महिला के कॉल डिटेल निकाले गए। आखिरी बार महिला की कोटवार से बात हुई थी जिसके बाद कोटवार से पूछताछ की गई तो उसने अपना जुर्म स्वीकार कर लिया। इधर कोटवार के पकड़े जाने की भनक पाते ही कृष्णा फरार हो गया। जिसके जंगल में छिपे होने की सूचना परन पुलिस ने जंगल से पकड़ लिया वहीं आरोपी की मां को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है।

शादी का झांसा देकर अनाचार : आरोपी गिरफ्तार

धमतरी-रायपुर (आरएनएस)। शादी करने का प्रलोभन देकर प्रार्थीया से जबरदस्ती शारिरिक संबंध बनाने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। मिली जानकारी के अनुसार आरोपी प्रवीण जैन पिता मदनलाल जैन उम्र 34 वर्ष सा0 बनियापारा अखाडा गली धमतरी,थाना सिटी कोतवाली धमतरी, जिला धमतरी (छ0ग0) द्वारा पीड़िता के साथ दिनांक 28.09.23 से 27.03.2024 तक लगातार शादी करने का प्रलोभन देकर बहला फुसलाकर प्रार्थीया के द्वारा मना करने के बावजूद भी जबरदस्ती शारिरिक संबंध बनाया और शादी करने कहने पर अश्लील गाली गलौच कर जान से मारने की धमकी दिया है। अगर घटना के बारे मे किसी को बतायेगी तो जान से मार दुंगा की धमकी दिया है। और लगातार शारिरिक संबंध बनाया है। जिससे प्रार्थिया डर कर घटना की जानकारी अपने परिजनो एवं किसी को भी जानकारी नही दी गई थी। पीड़िता की रिपोर्ट पर थाना सिटी कोतवाली धमतरी में अपराध पंजीबद्ध अपराध क्र.257/24 धारा 376,294,506 भादवि. विवेचना में लिया गया है। विवेचना के दौरान आरोपी को हिरासत में लेकर गवाहों के समक्ष पूछताछ कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है।

लाखों रूपये गबन करने वाले जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक रायपुर के 2 अधिकारी गिरफ्तार

मौदहापारा पुलिस की कार्यवाही

रायपुर । आरएनएस

जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित मौदहपारा रायपुर के खाताधारकों के खाते से पैसे निकालकर अपने खाते में जमाकर उसका आहरण कर लाखों रूपयों का गबन करने वाले बैंक के दो अधिकारियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है।

बता दें कि प्रार्थी शरद चंद्र गांगने शाखा प्रबंधक शाखा सीओडी जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित मौदहपारा रायपुर ने थाना मौदहापारा में रिपोर्ट दर्ज कराया था कि वह जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित रायपुर शाखा सी.ओ.डी. में शाखा प्रबंधक के पद पर दिनांक 18.05.2023 से पदस्थ है। बैंक की विजिलेंस सेल द्वारा दिनांक 23.08.2023 को बैंक की शाखा सी.ओ.डी. में निरीक्षण के दौरान शाखा में पदस्थ कनिष्ठ लिपिक चन्द्रशेखर डग्गर के बचत अमानत खाता एवं शाखा के सेवानिवृत्त सहायक लेखापाल अरूण कुमार बैसवाड़े के बचत अमानत खाता का परीक्षण करने पर मासिक वेतन की राशि जमा होने के बावजूद अत्यधिक आर्थिक लेन-देन किया गया था। जांच में सेवानिवृत्त सहायक लेखापाल अरूण कुमार बैसवाड़े, चन्द्रशेखर डग्गर क.लि. एवं संजय कुमार शर्मा पूर्व सहायक लेखापाल शाखा सी.ओ.डी. द्वारा मिली भगत करके अनाधिकृत रूप से वर्ष 2017 से 2022 के दौरान विभिन्न तिथियों में शाखा के खातों को डेबिट कर एवं अन्य खातेदारों के खातो से अत्याधिक राशि का आहरण करके आर्थिक अनियमितता कर बैंक को लगभग 52 लाख रूपयों की आर्थिक क्षति पहुंचाई गई। इस प्रकार अरूण कुमार बैसवाड़े सहायक लेखापाल (सेवानिर्वित्त), चंद्रशेखर डग्गर तथा शाखा में पूर्व पदस्थ सहायक लेखापाल संजय कुमार शर्मा द्वारा अपने कार्यकाल के दौरान मिलीभगत कर विभिन्न खातो में गड़बड़ी कर फर्जी तरीके से अपने अपने स्वयं के खाते में बहुत बड़ी राशि जमा एवं आहरण कर अमानत में खयानत कर विभिन्न प्रकार की आर्थिक अनियमितता बरतते करीबन 52 लाख रूपये का गबन किया गया। जिस पर आरोपियों के विरूद्ध थाना मौदहापारा में धारा 420, 409, 34 भादवि. का अपराध पंजीबद्ध किया गया था। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रायपुर संतोष कुमार सिंह के निर्देशानुसार अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (शहर) लखन पटले के मार्गदर्शन एवं नगर पुलिस अधीक्षक (कोतवाली) योगेश साहू के पर्यवेक्षण में थाना प्रभारी मौदहापारा के नेतृत्व में थाना मौदहापारा पुलिस की टीम द्वारा घटना के संबंध में प्रार्थी सहित अन्य बैंक कर्मियों से विस्तृत पूछताछ करते हुए आरोपियों की पतासाजी करना प्रारंभ किया गया। टीम के सदस्यों द्वारा आरोपियों की पतासाजी करते हुए प्रकरण में आरोपी अरूण कुमार बैसवाडे एवं संजय कुमार शर्मा को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा पर भेजा गया है।

राज्य में अगले पांच दिन अच्छी बारिश की संभावना

रायपुर । आरएनएस

मौसम विभाग ने प्रदेश में अगले पांच दिन तक गरज-चमक के साथ अच्छी बारिश की संभावना जताई है। मौसम विभाग का कहना है कि दुर्ग, राजनांदगांव में मानसून सक्रिय होने के 24 घंटे भीतर ही रायपुर से बिलासपुर पहुंच गया। हालांकि रायपुर में मानसून चार दिन लेट पहुंचा। वहीं एक-दो दिन में मानसून पूरे छत्तीसगढ़ में सक्रिय हो जाएगा। मानसून के एक्टिव होने के साथ ही पूरे प्रदेश में आगामी सप्ताह में बारिश और गरज-चमक के बौछारें पडऩे की संभावना है। इधर, रायपुर सहित आसपास के इलाकों में बादल और बारिश से तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई है।

मौसम विभाग ने बताया कि एक पूर्व-पश्चिम द्रोणिका राजस्थान से मणिपुर तक 0.9 किमी ऊंचाई तक फैला हुआ है। एक ऊपरी हवा का चक्रीय चक्रवाती परिसंचरण बिहार और उससे लगे पूर्वी उत्तर प्रदेश के ऊपर 1.5 किलोमीटर ऊंचाई तक विस्तारित है। वहीं एक ऊपरी हवा का चक्रीय चक्रवाती परिसंचरण उत्तर -पूर्व बंगाल की खाड़ी और उससे लगे पूर्व मध्य बंगाल की खाड़ी के ऊपर 3.1 किलोमीटर से 5.8 किलोमीटर ऊंचाई तक विस्तारित है।

देशी कट्टा-जिंदा कारतूस के साथ आरोपी गिरफ्तार

मामले में अपचारी बालक भी पकड़ाया

दुर्ग-रायपुर । आरएनएस

छावनी पुलिस की तत्परता से बडी घटना होने से टली । मिलन चौक संतोषी पारा कैम्प 02 चंदू डिस्क वाले के सामने भिलाई मे दिनांक 21/06/2024 को हुई मारपीट एवं चाकूबाजी के आरोपी पता तलाश हेतु पुलिस अधीक्षक जितेन्द्र शुक्ला के द्वारा थाना छावनी के मारपीट एवं चाकूबाजी के प्रकरण के आरोपीगणो के विरूद्ध स्वय रूचि लेते हुए कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया है जिसमे अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर सुखनंदन सिंह राठौर एवं नगर पुलिस अधीक्षक छावनी हरिश पाटिल के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी छावनी उप निरीक्षक चेतन सिंह चन्द्राकर के नेतृत्व में छावनी पुलिस के द्वारा क्षेत्र मे दिनांक 22/06/2024 को मुखबिर सूचना मिली बैकुण्ठ धाम के पास संतोष एवं करण नामक व्यक्ति संदेही होने की सूचना पर बैकुण्ठ धाम मे मिला नाम व पता पूछने पर अपना नाम (1) संतोष कुमार साव पिता स्व. बनवारी लाल साव (2) करण साव पिता विलोचन साव निवासी साहू लकडी टाल के पास बैकुण्ठ धाम कैम्प 02 भिलाई थाना छावनी जिला दुर्ग छ.ग. होना बताये जिसको हिरासत मे लेकर पूछाताछ करने पर बताया कि दिनांक 21/06/2024 को सुबह के समय जो पुरानी रंजित बात को लेकर रजत एवं करन को जान से मारने की नियत से घर अंदर घुसकर धारदार चाकु से मारने स्वीकार किये एवं करण साव को देशी रिवालवर के संबंध मे पूछताछ करने पर बताये इसी माह 11 तारीख को उज्जैन जाना उज्जैन मे अज्ञात व्यक्ति से दस हजार रूपये मे खरीदना बताये । थाना छावनी के अपराध क्रमांक 287/2024 धारा 452, 294, 506 बी, 323, 34 भा.द.वि. एवं 25, 27 आम्र्स एक्ट का आरोपी होने से गिरफ्तार किया गया ।

आरोपी (3) मोह. समीर खान पिता स्व. मोह. आलताफ खान (4) अपचारी बालक निवासी नंदनी रोड गौतम नगर साहू किराना स्टोर्स के पास खुर्सीपार भिलाई को हिरासत मे लेकर पूछताछ करने पर दिनांक 21/06/2024 को हुए विवाद की बात को लेकर बदले की भावना से चाकू लेकर मारने जान से मारने कि नियत से चाकु लेकर मारना स्वीकार किये है । अपराध क्रमांक अपराध क्रमांक 288/2024 धारा 294, 506 बी, 34 भा.द.वि. एवं 25, 27 आम्र्स एक्ट का होना पाया गया । आरोपीगणो के विरूद्ध धारा 452, 294, 506 बी, 327,323, 34 भा.द.वि. एवं 25, 27 आम्र्स एक्ट का अपराध पाये जाने से न्यायालय दुर्ग मे न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया है । उक्त कार्यवाही मे छावनी पुलिस की तत्परता एवं सक्रियता के कारण किसी बडी घटना एवं जनहानि को रोका गया व घटना के कुछ ही घंटो के भीतर आरोपियो को घटना मे प्रयुक्त औजार के साथ धर दबोचा गया । उक्त कार्यवाही मे उप निरीक्षक वरूण देवता, उप निरीक्षक महेन्द्र प्रताप सिंह, सउनि उदय शंकर झा, प्र.आर. जसपाल सिंह, आरक्षक संजय सोनी, आकाश तिवारी, त्रिलोक नाथ भाटी, धर्मेन्द्र सिंह की सराहनीय भूमिका रही है ।

सदगुरु कबीर साहेब प्रगटोत्सव उल्लासमय वातावरण में सम्पन्न

दुर्ग । आरएनएस

समभाव सदगुरू कबीर सेवा समिति के तत्वाधान में गतवर्ष की भांति शहर के हृदय स्थल सिविल लाईन स्थित शीतला तालाब समृद्धि बाजार के बाजू स्थित समभाव सदगुरू कबीर कृटि के प्रांगण में भव्य सदगुरू कबीर प्रगटोत्सव समारोह को प्रख्यात प्रवचन कर्ता संत बजरंग दास ने संगीत सहित वाद्ययंत्रो के माध्यम से प्रस्तुत प्रवचन आम दर्शको का केन्द्र बिन्दु रहा। लगातार चल रहे कार्यक्रमों के सिलसिले के दौरान पूर्व विधायक अरूण वोरा एवं महापौर धीरज बाकलीवाल पूजा अर्चन के पश्चात सदगुरू कबीर साहेब के विचारों को समसामयिक निरूपित करते हुए सभी को अपने जीवन में आत्मसात करने का आग्रह किया। दुर्ग नगर विधायक गजेन्द्र यादव ने समभाव गुरु कबीर सेवा समिति को निरंतरता एवं कार्यों की प्रशंसा करते हुए सहयोग के लिए आश्वत किया। गोवर्धन प्रसाद जायसवाल ने कबीर साहेब के दर्शन का मार्मिक विवेचन के साथ, कबीर साहेब का विचार एवं सदशिक्षा आम लोगों के मध्य मानस की भांति जनमन में बसे रहने का जिक्र किया। इसी तारतम्य में सातविक चौका आरती मंहत विक्रम दास द्वारा सम्पन्न हुआ। इस क्रम में महंत मोहित दास महंत दिलेश्वर दास भी मौजूद थे।

40 मामलों में 555 लीटर शराब जब्त

कोरबा-रायपुर । आरएनएस

पुलिस अधीक्षक कोरबा सिद्धार्थ तिवारी के निर्देश पर विशेष अभियान चलाकर लगातार पुलिस के द्वारा अवैध कारोबार पर ताबड़तोड़ कार्यवाही लगातार जारी है। इसी कड़ी में दिनांक 19/06/2024, 20/06/2024 एवं 21/06/2024 को भी अवैध गतिविधियों पर प्रभावी कार्यवाही करते हुए अवैध गांजा, शराब एवं नशीली पदार्थ के विरूद्ध सख्ति से कार्यवाही करने का निर्देश दिया गया जिले के सभी राजपत्रित अधिकारी थाना/चौकी के द्वारा अवैध गतिविधियों पर कार्यवाही किया गया है। कोरबा पुलिस के द्वारा सजग कोरबा के तहत अलग-अलग जगह पर अवैध शराब पर कार्यवाही करते हुए पहले दिन 20 प्रकरणों में कुल 231 लीटर कच्ची महुआ शराब किया जप्त, दूसरे दिन 12 प्रकरणों में कुल 132 लीटर कच्ची महुआ शराब किया एवं तीसरे दिन 8 प्रकरणों में कुल 192 लीटर कच्ची महुआ शराब किया गया।इस प्रकार तीन दिवस के अभियान में कुल 40 प्रकरण में 555 लीटर शराब जप्त किया गया एवं 40 लोगों के विरुद्ध कार्यवाही की गई।

ज्ञात हो कि कोरबा पुलिस टीम के द्वारा 01 जनवरी 2024 से अब तक कुल 378 प्रकरणों में कुल 5978 लीटर कच्ची महुआ शराब एवं देसी प्लेन मंदिरा शराब जप्त किया गया। इस तीन दिवसीय अभियान में सभी थाना/चौकी ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। दीपका थाने के द्वारा सबसे ज़्यादा 160 लीटर शराब जप्त कर कुल 5 आरोपियों को गिरफ़्तार कर जेल दाखिल किया गया। पुलिस टीम के द्वारा आगे भी अवैध कारोबार पर पूर्णत: लगाम लगाने के लिए संगठित अपराधों के खिलाफ लगातार आगे भी कार्यवाही की जावेगी।

बाईक चोरी करने वाले दो आरोपी गिरफ्तार

धमतरी-रायपुर । आरएनएस

प्रार्थी द्वारा दिनाँक 17.06.24 को अपने स्प्लेण्डर प्लस मो0 सा0 क्र.3403 कीमती करीबन 20,000/-रूपये को रात्रि करीब 10:00 बजे न्यू लक्ष्मीनगर बाम्बे गैरेज के पीछे डॉक बंगला वार्ड,घर के सामने खड़ीं किया था,जिसको दिनांक 18.06.24 के सुबह उठकर देखा तो मो0सा0 खड़ी किये स्थान पर नहीं था जिसका आस पास पता तलाश किया कहीं पता नहीं चला कोई अज्ञात चोर द्वारा चोरी कर जाने की प्रार्थी की रिपोर्ट पर थाना सिटीकोतवाली में अपराध कायम कर विवेचना में लिया गया।

विवेचना के दौरान आस पास के लोगों से पूछताछ एवं आस पास के सीसीटीवी एवं तकनीकी साक्ष्य एवं मुखबिर लगाया गया था जिसके आधार पर लगातार धमतरी पुलिस द्वारा आरोपियों की पतासाजी की जा रही थी। तभी मुखबिर से सूचना मिली कि दो व्यक्ति नया बस स्टैण्ड के आस पास मो0सा0 बिक्री करने हेतु ग्राहक तलाश कर रहे हैं की सूचना पर तत्काल कोतवाली पेट्रोलिंग पार्टी रवाना होकर नया बस स्टैण्ड धमतरी पहुंचे जहाँ दो व्यक्ति मो0 सा0 बेचने के लिए ग्राहक तलाश करते मिले जिसे गवाहों के साथ घेराबंदी कर पुछताछ करने पर अपना नाम 01 गजेन्द्र बांधे उम्र 19 वर्ष एवं 02 रूपेन्द्र कुमार उम्र 21 वर्ष जिन्हें गवाहों के समक्ष पुछताछ करने पर दोनो एक ही मोहल्ले अटल आवास विवेकानंद नगर के रहने वाले है दोनो एक दूसरे को अच्छे से जानना पहचानना तथा दोनों ने मिलकर प्लान बनाया कि मो0सा0 चोरी कर उसे बेचकर पैसा कमायेंगे सोचकर दोनों दिनांक 17.06.24 को रात्रि में मो0सा0 चोरी करने न्यू लक्ष्मीनगर बाम्बे गैरेज के पीछे डाल बंगला वार्ड में एक घर के सामने एक स्प्लेण्डर प्लस मो0सा0 क्र0 छ्त्र-24-रु-3403 खड़ी थी जिसे अपने पास रखे मास्टर की लगाने पर मो0सा0 चालू हो गया जिसे चोरी कर ले गये थे। चोरी किये होण्डा स्प्लेंडर प्लस मो0सा0 क्र0 3403 को आरोपीगण के कब्जे से मुताबिक जप्ती पत्र के गवाहों के समक्ष जब्त किया गया है। आरोपीगण के विरुद्ध थाना सिटीकोतवाली में अपराध क्र.186/24धारा 379, 34 भादवि0 के तहत अपराध कायम कर,आरोपीगण को आज दिनाँक 21.06.24 के विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया है।

70 लाख राशन कार्डधारियों ने किया नवीनीकरण के लिए ऑनलाइन आवेदन

30 जून तक नवीनीकरण कार्य किए जाएंगे

रायपुर । आरएनएस

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के निर्देशानुसार प्रदेश प्रचलित राशनकार्ड के नवीनीकरण एवं राशनकार्डधारियों का ई-केवायसी किया जा रहा है। प्रदेश के समस्त श्रेणी के राशनकार्ड अन्त्योदय, प्राथमिकता, एकल निराश्रित, निशक्तजन और एपीएल योजना के राशनकार्डधारियों का ई-केवायसी एवं राशनकार्डों के नवीनीकरण 30 जून 2024 तक अनिवार्य रूप से कराने के लिए कहा गया है। खाद्य विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार राशनकार्ड नवीनीकरण करने के लिये ई-केवायसी कराना अनिवार्य है। वर्तमान में प्रदेश में लगभग 77 लाख राशनकार्ड हितग्राही है। अब तक कुल 70 लाख राशन कार्डधारकों का नवीनीकरण किया जा चुका है। नवीनीकरण के कार्य में पहले पायदान पर बीजापुर जिला है। कुल हितग्राही 71,368 हितग्राहियों में से 71,145 हितग्राहियों ने, द्वितीय स्थान पर नारायणपुर जिला 36,167 हितग्राहियों में से 35,831 हितग्राहियों ने, इसी प्रकार तृतीय स्थान पर सुकमा जिला 78752 हितग्राहियों में से लगभग 78 हजार हितग्राहियों ने अपना राशन कार्ड नवीनीकरण का कार्य करवा लिया है। विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार राशनकार्ड नवीनीकरण के लिए खाद्य विभाग के द्वारा खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग का नया मोबाईल एप्प तैयार किया गया है, इसे प्ले स्टोर में जाकर डाउनलोड किया जा सकता है। हितग्राही द्वारा खाद्य विभाग की वेबसाइट से डाउनलोड करके नवीनीकरण का कार्य किया जा सकता है। हितग्राही उचित मूल्य दुकान में भी जाकर ऑनलाईन के माध्यम से अपना नवीनीकरण और ई-केवायसी का कार्य करवा सकतें है। ई-केवायसी के लिए प्रत्येक हितग्राही का बायोमेट्रिक अद्यतन होना चाहिए जिन सदस्यों का बाल आधार बना है उन्हें पहले आधार सेवा केंद्र से अपना बायोमेट्रिक अपडेट कराना होगा इसके पश्चात् उचित मूल्य दुकान के ई-पॉस मशीन से ई-केवायसी करा सकते है। राशनकार्ड में ई-केवायसी और नवीनीकरण की सुविधा नि:शुल्क है।

प्रतिबंधित नशीली टेबलेट के साथ 3 आरोपी गिरफ्तार

रायपुर । आरएनएस

राजधानी रायपुर की आमानाका थाना पुलिस ने प्रतिबंधित नशीली टेबलेट के साथ तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ई रिक्शा में सवार होकर तीनों आरोपी नशीली टेबलेट बेचने के लिए ग्राहक की तलाश कर रहे थे। पुलिस ने आरोपियों के पास से 2736 नग प्रतिबंधित नशीली टेबलेट स्पासमो जब्त किया है।

बता दें कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संतोष सिंह के दिशा निर्देश पर रायपुर पुलिस द्वारा निजात अभियान के तहत नशे के विरूद्ध विशेष अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें समस्त थाना एवं एण्टी क्राईम एण्ड साईबर यूनिट की टीम द्वारा लगातार कार्यवाही की जा रहीं है। नारकोटिक्स एक्ट पर प्रभावी कार्यवाही करने हेतु एण्टी क्राईम एण्ड साईबर यूनिट की विशेष टीम का गठन किया गया है साथ ही समस्त थाना प्रभारियों को नशे की सामाग्री बिक्री करने वालों एवं सप्लाई करने वालों पर कठोर कार्यवाही करने निर्देशित किया गया है। इसी तारतम्य में दिनांक 22 जून को एण्टी क्राईम एण्ड साईबर यूनिट अंतर्गत गठित नारकोटिक्स सेल की टीम को सूचना मिली कि थाना आमानाका क्षेत्रांतर्गत टाटीबंध स्थित एम्स अस्पताल गेट नंबर 01 के पास ई-रिक्शा में सवार कुछ व्यक्ति अपने पास प्रतिबंधित नशीली टेबलेट रखें है तथा बिक्री करने की फि राक में है। जिस पर वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में एण्टी क्राईम एण्ड साईबर यूनिट तथा थाना आमानाका पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा उक्त स्थान पर जाकर मुखबीर द्वारा बताये ई-रिक्शा वाहन को चिन्हांकित किया गया। वाहन में 3 लोग सवार थे, जिन्होंने पूछताछ में अपना नाम अमन सोनेकर उर्फ सन्नी, विरेन्द्र सोनी उर्फ तुतरू एवं गौतम सोनी उर्फ तरूण निवासी सरस्वती नगर रायपुर का होना बताया। टीम के सदस्यों द्वारा उनके पास रखें बैग की तलाशी लेने पर बैग में स्पासमो नामक प्रतिबंधित नशीली टेबलेट रखा होना पाया गया। उक्त प्रतिबंधित नशीली टेबलेट रखने एवं बिक्री करने के संबंध में तीनों से वैध दस्तावेज की मांग करने पर उनके द्वारा किसी प्रकार का कोई दस्तावेज प्रस्तुत न कर टीम के सदस्यों को लगातार गुमराह करने का प्रयास किया। जिस पर टीम के सदस्यों द्वारा तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से कुल 2736 नग प्रतिबंधित नशीली टेबलेट स्पासमो एवं घटना में प्रयुक्त ई-रिक्शा (सवारी वाहन) क्रमांक सी.जी. 04-पी. के.4497 जप्त कर आरोपियों के विरूद्ध थाना आमानाका में धारा 22ग नारकोटिक एक्ट का अपराध पंजीबद्ध कर कार्यवाही किया गया।

मामले में पुलिस ने अमन सोनेकर उर्फ सन्नी पिता स्व. अशोक सोनेकर उम्र 28 वर्ष निवासी रविशंकर यूनिवर्सिटी कैम्पस मकान नंबर आई 25 थाना सरस्वती नगर रायपुर, विरेन्द्र सोनी उर्फ तुतरू पिता स्व. बीरो सोनी उम्र 30 साल निवासी कुकुरखेड़ा सामुदायिक भवन के पास थाना सरस्वती नगर रायपुर तथा गौतम सोनी उर्फ तरूण पिता मानिक राम सोनी उम्र 35 साल निवासी गुरूद्वारा के सामने थाना सरस्वती नगर रायपुर को गिरफ्तार किया है।

SJU - Contact No. +91 9301915303 E-mail ID- sjunion29@gmail.com

Social Justice Union
Registered with Govt. No. 5526

Join SJU

अधिकार से न्याय तक

आवश्यकता
इस संघ का गठनसम्पूर्ण छत्तीसगढ़ में पीड़ितो को न्याय दिलाने के लिए किया गया है, जिसे छत्तीसगढ़ शासन से मान्यता प्राप्त है, जिसका क्रमांक 5526 है, तथा सम्पर्क हेतु नं0 9301915303 है। इस संघ के गठन पर संघ के संरक्षक एवं लीगल एडवाईज़र श्री तथागत श्रीवास्तव (अधिवक्ता, माननीय उच्च-न्यायालय), एवं गर्वनिंग बोर्ड के सदस्यों कु0 सी.बी.वर्मा, श्रीमती ऐकता श्रीवास्तव, श्रीमती रजनी राकुन्डे एवं अन्य ने शासन को धन्यवाद ज्ञापित किया, और कहा कि संघ के पास सामाजिक अन्याय अथवा मानवाधिकार हनन सम्बंधी तथ्य के प्रस्तुत होने पर, उसे लिखित में शासन एवं प्रशासन में विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर आसीन एवं सक्षम व्यक्तियों के समक्ष संघ की ओर से प्रस्तुत किया जावेगा। साथ ही, विधि, न्याय सम्बंधी कार्य हाथ में लेकर बेसहारा, गरीब, परित्यक्ता, विधवाओं के उत्थान के लिए कार्य किया जावेगा।

उद्देश्य एवं नियुक्तियां
मुख्य रूप से संघ का उद्देश्य छत्तीसगढ़ प्रदेश के समस्त जिलों एवं ब्लॉक स्तर में सामाजिक न्याय हेतु प्रचार-प्रसार करना, तथा मानवाधिकार हेतु जागरूकता पैदा करना है। संघ साक्षरता एवं अनौपचारिक शिक्षा के माध्यम से मानवाधिकार के सम्बंध में प्रचार प्रसार करना चाहता है। इस हेतु प्रदेश के समस्त जिलों एवं ब्लॉक स्तर पर सामाजिक न्याय एवं मानवाधिकार संरक्षण केन्द्र की स्थापना की जावेगी, और उनमें संघ के द्वारा आधिकारिक नियुक्तियाँ की जावेंगी। प्रत्येक व्यक्ति इस संघ में सदस्य बन सकता है, जिसके लिए संघ के द्वारा निर्धारित नियम एवं शर्तो का पालन किया जाना अनिवार्य है। इस हेतु सदस्यता फार्म संघ के प्रधान कार्यालय में उपलब्ध है।

मुख्य बिन्दु
प्रताड़ित एवं पीड़ित व्यक्ति की समस्याओं को सुनना, आवेदन लेना तथा पीड़ित को न्याय दिलाने के लिए उचित साधन एवं संसाधनों की जरूरत के अनुसार व्यवस्था करना मूल रूप से इस संघ का कार्य है। पीड़ित व्यक्तियों को न्यायिक, गैर-न्यायिक एवं सामाजिक समस्या पर विधिनुसार एवं संविधान के अनुसार आवश्यक मदद की जावेगी।

पीड़ित संपर्क करें
संघ विशेष रूप से मानवाधिकार दिलाने एवं सामाजिक न्याय प्राप्ति हेतु पीड़ित मानव की हर संभव मदद करेगा तथा इस हेतु पीड़ित मानव के लिए भारतीय संविधान के तहत् विधिक सहायता की व्यवस्था आवश्यकतानुसार करेगा। यदि कोई पीड़ित है तो इस संघ से सम्पर्क कर सकता है।

अन्य बिन्दु
- संघ पर्यावरण संरक्षण एवे पर्यावारण सम्बंधी चेतना हेतु भी जागरूकता लाने का प्रयास करेगा।
- पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश मे महिलाओं के अधिकार, श्रमिकों के अधिकार, आदिवासियों के अधिकार, अनुसूचित जाति-जनजातियों के अधिकारों के सम्बंध में विधिक एवं संवैधानिक रीति के कार्यक्रमों को इस संघ द्वारा संचालित किया जावेगा तथा प्रत्येक पीड़ित को उसके कर्तव्यों एवं अधिकारों के बारे में सचेत किया जावेगा। न्याय प्राप्ति हेतु हर संभव मदद की जावेगी।
- संघ शासन से मान्यता प्राप्त है, अतः शासन एवं प्रशासन में विभिन्न पदों पर आसीन् तक पीड़ित की परेशानी को आसानी से पहुँचाया जा सकता है। इस हेतु संघ शासन एवं प्रशासन में विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर आसीन व्यक्तियों से मुलाकात कर पीड़ित को न्याय दिलाने में समस्त सहायता भी करेगा।
- संघ द्वारा संवैधानिक शिक्षा एवं सामाजिक विकास से सम्बंधित रिसर्च कार्यक्रम किए जावेंगे, एवं समान उद्देश्यों वाली अंर्तराष्ट्रीय, राष्ट्रीय, सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाओं के साथ मिलकर काम किया जावेगा।
- संघ सामाजिक कुरीतियों को दूर करने के लिए कार्यशाला का आयोजन भी करेगा। संघ देश के भूले बिसरे पर महान विभूतियों के सम्मान में कार्यक्रम भी आयोजित कराएगा।

पढिए .... न्यायसाक्षी समाचार-पत्र

:: Address ::
Behind Stadium
Near Career
School, Raigarh,
C.G.
Pin 496001

www.nyaysakshi.com

सभी से अपील की गई है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में संघ से जुड़कर साथ का साथ दिया जावे ताकि प्रत्येक पीड़ित मानव को न्याय मिल सके एवं एक अच्छे समाज का निर्माण हो सके।

Join SJU Join SJU Join SJU Join SJU Join SJU